राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक : प. 1 (11)वन/2010 जयपुर, दिनांक : 04 JAN 2019

परिपत्र

अवैध खनन की रोकथाम एवं नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पूर्व में मुख्य सचिव के स्तर से प.20(118)खान/ग्रुप–2/2014 जयपुर, दिनांक 2.2.2016 से राज्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान बाबत स्थाई आदेश जारी कर खान विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग एवं यातायात विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए थे। इसी क्रम में इस विभाग क समसंख्यक पत्र दिनांक 4.3.2016 से वन क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए। इसके अतिरिक्त खान (ग्रुप–2) विभाग के पत्रांक प.14(1)खान/ग्रुप–2/2012 जयपुर दिनांक 9.2.2012 द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने के क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए थे।

प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(30)प्रसुवि/अनु.3/09 दिनांक 15.2.2010 से अवैध खनन की समस्या को विशेष महत्व देने एवं अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(8)प्रसु/अनु.3/2003(2) जयपुर दिनांक 29.01.2003 से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं सुधार (अनु–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(8)प्रसु/अनु.3/2003(2) दिनांक 1.6.2011 से जिला स्तरीय कमेटी द्वार किये गये कार्यों की विश्लेषणात्मक समीक्षा तथा अवैध खनन/निगर्मन की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के लिये सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था।

वन क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु ही पूर्व में समसंख्यक अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 13.4.2012 से अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में वन संपदा चोरी (379IPC) का मामला दर्ज कराने एवं अवैध खनन में लिप्त वाहन चालक का ड्राईविंग लाइसेन्स निरस्त करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को लिखने बाबत निर्देशित किया था।

उपर्युक्त संदर्भित जारी दिशा निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार को विभिन्न स्तरों से वन क्षेत्र में अवैध खनन जैसी गतिविधियों के संबंध में निरन्तर शिकायतें एवं परिवाद प्राप्त हो रहें हैं जिनमें मुख्यतः वन क्षेत्र में अवैध रूप से चेजा पत्थर, बजरी, मिट्टी एवं अन्य मुख्य खनिजों की निकासी से संबधित होते हैं। इस तरह से प्राप्त हो रही शिकायतों से ऐसा प्रतीत होता हैं कि अधीनस्थ स्तर पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालन नहीं हो रही है। अतः पर्वू में राज्य सरकार स्तर से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में वनक्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते हैं–